

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 71/2025

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. मनोज चौधरी पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर, मोखाब कला तहसील शिव जिला बाड़मेर (मैसर्स मारूती डेयरी, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, जी-1, फेस द्वितीय, बाड़मेर का विक्रेता)
2. रेखा राम पुत्र धुड़ाराम निवासी कबूतर चौक, बलदेव नगर, बाड़मेर (मैसर्स मारूती डेयरी, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, जी-1, फेस द्वितीय, बाड़मेर का भागीदार)
3. दामीदेवी पत्नी रेखाराम चौधरी निवासी कबूतर चौक, बलदेव नगर, बाड़मेर (मैसर्स मारूती डेयरी, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, जी-1, फेस द्वितीय, बाड़मेर का भागीदार)
4. फर्म: मैसर्स मारूती डेयरी, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, जी-1, फेस द्वितीय, बाड़मेर



परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री विष्णु भगवान चौधरी अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

[Handwritten Signature]

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

3. अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित

आदेश

दिनांक : 05.05.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दौरान गश्त दिनांक 21.04.2025 को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स मारुती डेयरी, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, जी-1, फेस द्वितीय, बाड़मेर के निरीक्षण के दौरान 475-475 एमएल के लगभग 50 पाउच Pasteurized Full Cream (Tej Special) (Maruti Dudh) इत्यादि विक्रय हेतु रखी गयी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 4 पाउच Pasteurized Full Cream (Tej Special) (Maruti Dudh) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2850 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ Pasteurized Full Cream (Tej Special) (Maruti Dudh) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Pasteurized Full Cream (Tej Special) (Maruti Dudh) का नमूना अवमानक (Sub-standard) पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब पेश किया गया कि दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं थी और न ही उसमें एफ एस एल रिपोर्ट में ऐसी कोई मिलावट आई है। विप्रार्थी संख्या 02 पशुपालकों से दूध को खरीदकर उसी अनुसार बेचान करता है और न ही किसी प्रकार के अंकित फेट में अन्तर था। उसी अनुसार दूध की थैली पर अंकित अनुसार ही दूध का बेचान किया गया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विप्रार्थीगण के विरुद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।



hpo

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 02.05.2025 में उक्त नमूना अवमानक (Sub-standard) खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहित अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk fat मानक स्तर न्यूनतम 6% के मुकाबले में 5% तथा Milk Solids not fat मानक स्तर न्यूनतम 9.0% के मुकाबले में 08.48%** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब पेश किया गया कि दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं थी और न ही उसमें एफ एस एल रिपोर्ट में ऐसी कोई मिलावट आई है। विप्रार्थी संख्या 02 पशुपालकों से दूध को खरीदकर उसी अनुसार बेचान करता है और न ही किसी प्रकार के अंकित फेट में अन्तर था। उसी अनुसार दूध की थैली पर अंकित अनुसार ही दूध का बेचान किया गया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विप्रार्थीगण के विरुद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।
4. इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।
5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रुपये 18,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।




ha

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 71/2025 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मनोज चौधरी व अन्य

6. आदेश आज दिनांक 05.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजेन्द्र सिंह चांदावत) री एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर